राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(36) ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/बीएसआर/प्रगति/2015–16 जयपुर, दि 30 मई, 2019

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद अलवर, बांडमेंर, बीकानेर,
दौसा एवं गंगानगंर ।

विषय :– वर्ष 2019–20 के लिए पंचायत संमिति दर अनुसूची (बीएसआर) लागू करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 04.01.2019, 22.02.2019 एवं 13.03.2019, 29.03.2019, 10.04.2019 एवं 16.04.2019 तथा विडियो कॉन्फेसिंग दिनांक 14.5.2019 में दिये गये निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 8 के परिपेक्ष्य में वर्ष 2019–20 के लिए श्रम, सामग्री एवं उपकरणों की बेसिक दरों का निर्धारण करने एवं दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने व प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिनांक 28.02.2019 तक जिला दर निर्धारण समिति की बैठक आयोजित कर पंचायत समितिवार बीएसआर तैयार कर दिनांक 01.04.2019 से लागू/प्रभावी करने हेतु निर्देशित किया गया था। बीएसआर सृजन की समीक्षा करने पर पाया गया कि अभी (22.05.2019) तक 295 पंचायत समितियों में से मात्र 242 पंचायत समितियों की बीएसआर प्रभावी की गई है। 5 जिले (यथा अलवर, बांडमेंर, बीकानेर, दौसा एवं गंगानगर) में पंचायत समिति स्तर से बीएसआर प्रस्तावित की हुई है, परन्तु संबंधित जिला स्तर से अनुमोदन/प्रभावी कराया जाना अभी भी शेष है।

उपरोक्तानुसार स्थिति से स्पष्ट है कि उक्त जिलों द्वारा विभागीय निर्देशों को गंभीरता से नही लिया जा रहा है, जो खेदजनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी प्रस्तावित बीएसआर जिला दर निर्णायक समिति से अनुमोदन उपरान्त पंचायत समितिवार दर अनुसूची (बीएसआर) अविलंब प्रभावी कराया जाना सुनिश्चित करावे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा.वि.।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर, बांडमेंर, बीकानेर, दौसा एवं गंगानगर।
4. अधि. अभि. (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद अलवर, बांडमेंर, बीकानेर, दौसा एवं गंगानगर।
5. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

30/5
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)